CONFIDENTIAL

MEMORANDUM

Minister-in-Charge: **Archives Minister, Haryana**

Administrative Secretary: **Additional Chief Secretary to Government Haryana, Archives Department.**

Subject:- **Annual Administrative Report of the Archives Department, Haryana for the year 2020-21.**

....

The Annual Administrative Report along with a review and critique for the year 2020-21 in respect of the Archives Department, Haryana is brought up before the Council of Minister, Haryana under instructions issued by the Chief Secretary to Government, Haryana vide their U.O. No. 53/12/81-6pp dated 02.07.1982 for consideration.

Prior approval of the Chief Minister to place this matter before the Council of Ministers has been obtained.

Dated, Chandigarh, the 10.6.2022

(S.N. Roy)
Additional Chief Secretary to Government,
Haryana , Archvies Department

गोपयनीय

ज्ञापन

कार्यभारी मंत्री अभिलेखागार मंत्री, हरियाणा

प्रशासकीय सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
अभिलेखागार विभाग ।

विषयः– **अभिलेखागार विभाग, हरियाणा की 2020-21 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट ।**

अभिलेखागार विभाग हरियाणा की 2020-21 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा व समालोचना सहित मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के अशाः क्रमांक 53/12/81–6पी.पी.: दिनांक 2.7.1982 द्वारा जारी की गई हिदायतों अनुसार मंत्री परिषद के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत है ।

इस मामले को मंत्री परिषद के सम्मुख रखने के लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

दिनांक चण्डीगढ़ 10.6.2022

(एस.एन.राय)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
अभिलेखागार विभाग ।

अभिलेखागार विभाग, हरियाणा द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा

रिपोर्टाधीन अवधि में विभाग प्रशासनिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के सरकारी एवं निजी अभिलेखों की प्राप्ति, सम्भाल एवं चिरकाल तक उनके संरक्षण के कार्यों को करता रहा है ।

वर्ष 2020-21 के दौरान विभाग द्वारा सचिव, राज्यपाल महोदय, हरियाणा के कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी- रोहतक में कलानौर, सांपला, महम, लखनमाजरा, मण्डलीय मृदा सरंक्षण अधिकारी व किसान कल्याण विभाग, गुडगांव, जिला समाज कल्याण अधिकारी, भिवानी, रेवाडी, चरखी दादरी, झज्जर, हिसार, अम्बाला, ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा तथा मण्डल आयुक्त हिसार के अभिलेखों का सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन किया गया ।

विभाग ने सचिव, राज्यपाल महोदय, हरियाणा के कार्यालय से 2 फाईलें, ग्रामीण विकास विभाग हरियाणा से 3 फाईलों तथा मण्डल आयुक्त हिसार से 38 पुस्तकों को अवाप्त किया ।

विभाग ने 40 शोधकर्ताओं को शोध सुविधाएं प्रदान की ।

विभाग का सभी राष्ट्रीय अभिलेखीय एवं ऐतिहासिक संस्थाओं में अच्छा प्रतिनिधित्व रहा है ।

Siddhi

(एस.एन.राय)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
अभिलेखागार विभाग

अभिलेखागार विभाग, हरियाणा की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2020-21 की समालोचना

रिपोर्टाधीन अवधि में विभाग अपने कार्यों को उचित ढंग से सम्पन्न करता रहा है । बड़ी संख्या में अभिलेखीय महत्व का रिकार्ड सरकारी विभागों के मुख्यालयों एवं जिला कार्यालयों में उपलब्ध है जिसके मूल्यांकन एवं अवाप्ति की आवश्यकता है । प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों एवं स्थान की कमी के कारण विभाग को इन अभिलेखों के मूल्यांकन, अवाप्ति एवं परिरक्षण के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है । फिर भी विभाग ने सरकारी अभिलेखों के मूल्यांकन एवं अवाप्ति के अपने कार्यों को जारी रखा हुआ है । अभिलेखों के परिरक्षण एवं पुर्नस्थापन के कार्य के अतिरिक्त विभाग ने अपने अभिलेखीय संग्रह की संदर्भ सूची भी तैयार की है ।

(एस.एन.राय)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
अभिलेखागार विभाग ।

अभिलेखागार विभाग हरियाणा
वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-2021

अभिलेखागार हमारी सांस्कृतिक सम्पदा का कोष है । यह उस नदी की तरह है, जहां से इतिहास प्रवाहित होता है । इतिहास लिखने व लिखित इतिहास को ढूंढने तथा भावी योजना बनाने के लिए केवल अभिलेखागार ही सामग्री उपलब्ध कराता है ।

हरियाणा राज्य अभिलेखागार, हरियाणा के क्षेत्रीय इतिहास, जो अभी तक अधूरा व अनदेखा रहा है, के शोध की उन्नति के लिए उत्कृष्ट भूमिका अदा करता है ।

हरियाणा राज्य अभिलेखागार का मुख्य कार्य ऐतिहासिक, प्रशासनिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के सरकारी व निजी अभिलेखों को प्रशासनिक एवं ऐतिहासिक शोध सुविधाओं के लिए प्राप्त करना, उनका सही रख-रखाव व चिरकाल तक उन्हें सुरक्षित रखने हेतु उनकी व्यवस्था करना है । यह विभाग सरकारी अभिलेखों के सम्बन्ध में उनके संरक्षण एवं निःसरण के लिए सभी गतिविधियों में तालमेल एवं मार्गदर्शन, यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि स्थायी महत्व के अभिलेख नष्ट न हों । इसके अतिरिक्त विभाग मौखिक इतिहास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के स्वतंत्रता सैनानियों एवं प्रमुख व्यक्तियों के संस्मरण भी टेप रिकार्ड करता है ।

1 नवम्बर, 1966 को पंजाब राज्य के पुनर्गठन व हरियाणा राज्य के सृजन के समय हरियाणा राज्य में अभिलेखागार विभाग स्वतन्त्र विभाग के रुप में कार्य नहीं कर रहा था जिसके कारण सरकारी व निजी अभिलेखों के रख-रखाव की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका । तत्पश्चात् वर्ष 1969 में राज्य में पुरातात्विक व अभिलेखीय गतिविधियों को सम्पन्न करने के उद्‌देश्य से पुरातत्व इकाई की स्थापना की गई । बाद में हरियाणा सरकार ने वर्ष 1973 में मात्र 7 पदों की स्वीकृति के साथ राज्य में अभिलेखागार विभाग स्थापित करने की दिशा में प्रथम कदम उठाया । परन्तु यह पद शीघ्र भरे न जा सके । उप निदेशक अभिलेखागार के पद पर केन्द्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर एक अधिकारी को लेकर वर्ष 1976 में विधिवत् रुप से राज्य में अभिलेखागार विभाग की स्थापना हुई तब से लेकर यह विभाग निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है । मुख्यालय पर बढ़ती अभिलेखीय गतिविधियों के बोझ को कम करने की दिशा में विभाग ने वर्ष 1986 में मण्डल स्तर पर क्रमशः अम्बाला व हिसार में क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना की । राज्य में रोहतक व गुरूग्राम को मण्डल का दर्जा

मिलने के पश्चात् विभाग ने वर्ष 1997 में इन दोनों स्थानों पर भी क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना की ।

वर्ष 2014 में स्टॉफ की कमी व अत्यधिक किराये के कारण क्षेत्रीय अभिलेखागार गुरूग्राम का कार्यालय अस्थाई तौर पर गुरूग्राम से क्षेत्रीय अभिलेखागार रोहतक मण्डल, रोहतक में स्थानांतरित कर दिया गया ।

अभिलेखागार विभाग सरकार के स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, अभिलेखागार विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करता है । निदेशालय स्तर पर निदेशक विभागाध्यक्ष हैं । ये दोनों अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं ।

वर्ष 2020-2021 की अवधि के दौरान सरकार के स्तर पर इस विभाग का कार्यभार श्रीमती कमलेश ढांडा, अभिलेखागार मंत्री के पास रहा है । विभाग के प्रधान सचिव का कार्यभार श्री अशोक खेमका, भा0प्र0से0 के पास रहा है । इस दौरान विभाग के निदेशक का कार्यभार श्रीमती रानी नागर, भा0प्र0से0 (11-3-2020 से 4-5-2020), श्रीमती मनदीप कौर, भा0प्र0से0 (26-10-2020 से 28-2-2021)तथा श्री महावीर सिंह, भा0प्र0से0 (1-03-2021 से रिपोर्टाधीन अवधि तक) के पास रहा है ।

राज्य अभिलेखागार तथा अभिलेखागार महानिदेशक का कार्यालय सिंचाई भवन, बी0 ब्लॉक, चौथी मंजिल, सैक्टर 5, पंचकूला के सरकारी भवन में स्थित है । मण्डल स्तर पर क्षेत्रीय अभिलेखागार के कार्यालय क्रमशः अम्बाला, हिसार तथा रोहतक व गुरूग्राम के कार्यालय का रिकार्ड रोहतक में स्थित हैं ।

विभाग में 41 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 22 पद भरे हुए हैं व 19 पद रिक्त हैं जिनका विवरण अनुलग्नक 'क' पर उपलब्ध है ।

बजट:

विभाग के वर्ष 2020-2021 के मूल बजट में योजनेत्तर पक्ष पर 234,00000 रुपये व योजना पक्ष पर 29,00,000 रुपये का बजट प्रावधान किया गया था जिसके समक्ष 1,80,90,394 रुपये योजनेत्तर पक्ष पर तथा 424805/- रुपये योजना पक्ष पर खर्च किए गए हैं ।

अभिलेख प्रबंधन :

1. विभाग ने सचिव, राज्यपाल महोदय, हरियाणा के कार्यालय की 4355 फाईलों का मूल्यांकन किया जिसमें से 2 फाईलें अभिलेखीय महत्व की पाई गई।

2. विभाग ने जिला समाज कल्याण, अधिकारी, रोहतक की नगर निगम ब्लॉक, नगरपालिका, कलानौर, सांपला, महम, ब्लॉक लखन माजरा की 140 फाईलों/बण्डलों की ए0पी0आर0 का मूल्यांकन किया जिसमें कोई भी फाईल अभिलेखीय महत्व की नहीं पाई गई ।

3. विभाग ने मण्डलीय मृदा सरंक्षण अधिकारी व किसान कल्याण विभाग गुडगांव की 104 फाईलों का मूल्यांकन किया जिसमें कोई भी फाईल अभिलेखीय महत्व की नहीं पाई गई ।

4. विभाग ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, भिवानी की 1459 बण्डलों व फाईलों का मूल्यांकन किया जिसमें कोई भी फाईल अभिलेखीय महत्व की नहीं पाई गई ।

5. विभाग ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, रिवाड़ी के 840 बण्डलों व फाईलों का मूल्यांकन किया जिसमें कोई भी फाईल अभिलेखीय महत्व की नहीं पाई गई ।

6. विभाग ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, चरखी दादरी के 540 बण्डलों व फाईलों का मूल्यांकन किया जिसमें कोई भी फाईल अभिलेखीय महत्व की नहीं पाई गई ।

7. विभाग ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, झज्जर के 940 बण्डल व फाईलों का मूल्यांकन किया जिसमें कोई भी फाईल अभिलेखीय महत्व की नहीं पाई गई ।

8. विभाग ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, हिसार के 748 बण्डलों व फाईलों का मूल्यांकन किया जिसमें कोई भी फाईल अभिलेखीय महत्व की नहीं पाई गई ।

9. विभाग ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, अम्बाला के 1350 बण्डलों व फाईलों का मूल्यांकन किया जिसमें कोई भी फाईल अभिलेखीय महत्व की नहीं पाई गई।

10. विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा की 1464 फाईलों का मूल्यांकन किया जिसमें से 3 फाईलें अभिलेखीय महत्व की पाई गई ।

11. विभाग ने मण्डल आयुक्त, हिसार की 9464 फाईलों/रजिस्टर/पुस्तकों का मूल्यांकन किया जिसमें से 38 पुस्तकें अभिलेखीय महत्व की पाई गई ।

अभिलेख परिरक्षण :

इस वर्ष के दौरान अभिलेख परिरक्षण के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किए गए:-

1.	बांइडिंग और सिलाई	292 पुस्तकें व रजिस्टर
2.	लघु रिपेयर	1110 पृष्ठ
3.	टिश्यू रिपेयर	2397 पृष्ठ
4.	डिएसिडिफिकेशन	2790 पृष्ठ
5.	गैदरिंग एवं गार्डिंग	75 पृष्ठ
6.	फलैटनिंग	3822 पृष्ठ
7.	चेपियां हटाना	180 पृष्ठ

8. फाईल रिपेयर 22 फाईल

9. चिपके हुए पृष्ठों को अलग करना 420 पृष्ठ

अभिलेखों को व्यवस्थित करना :

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग द्वारा मुख्यालय स्थित पुस्तकालय की 5000 पुस्तकों व पाण्डुलिपियों का भौतिक सत्यापन किया गया । क्षेत्रीय अभिलेखागार, रोहतक में गुडगांव से स्थानान्तरित 600 पुस्तकों का भौतिक सत्यापन किया गया । क्षेत्रीय अभिलेखागार, हिसार में 30 फाईलों को व्यवस्थित कर भौतिक सत्यापन किया गया तथा 133 गजट/पुस्तकों को कीटाणुओं से बचाने के लिए फ्यूमिगेट किया गया ।

संदर्भ माध्यम :

विभाग द्वारा पुस्तकालय में 850 पुस्तकों तथा 700 पाण्डुलिपियों की सन्दर्भ सूचि तैयार की गई । क्षेत्रीय कार्यालय, हिसार में 300 फाईलों की कम्पयूटर द्वारा सूचि तैयार की गई । क्षेत्रीय कार्यालय , रोहतक में 200 फाईलों तथा 1070 गजट की सूची तैयार की गई ।

शोध सुविधाएं :

विभाग ने 9 शोधकर्ताओं को शोध अनुमति प्रदान की । जिनका विवरण अनुलग्नक 'ख' पर उपलब्ध है तथा 31 शोधकर्ताओं को शोध सुविधाएं प्रदान की।

सूचना का अधिकार अधिनियम :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभाग ने इस वर्ष के दौरान श्री हिमांशु राज, मकान नं0 102, सैक्टर 10-A, चण्डीगढ, को उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाई ।

माइक्रोफिल्मिंग :

इस वर्ष के दौरान विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के 10000 माइक्रोफिल्म चित्र तैयार किए गए व इनको प्रोसेस किया गया तथा इसके अतिरिक्त अंग्रेजी न्यूज पेपर 'द ट्रिब्यून' के 15000 माइक्रोफिल्म चित्र को चैक किया गया ।

अवाप्तियां :

इस वर्ष के दौरान विभाग ने सचिव, राज्यपाल महोदय, हरियाणा की 2 फाईलें, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा की 3 फाईलें तथा मण्डल आयुक्त, हिसार से 38 पुस्तकों को अवाप्त किया गया ।

अभिलेखों की सर्विसिंग :

इस वर्ष के दौरान विभाग ने यहां उपलब्ध अभिलेखों की निम्नानुसार सर्विसिंग की:

1- पुनर्वास विभाग, हरियाणा को उनकी मांग पर 41 फाइलें उपलब्ध करवाई ।

चौकसी विभाग से सम्बन्धित सूचना:

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभाग में चौकसी विभाग से सम्बन्धित सूचना शून्य है ।

अनुलग्नक 'क'

वर्ष 2020-21 में पदों का विवरण

पदनाम	पंचकूला	अम्बाला	हिसार	रोहतक	भरे हुए पद	रिक्त पद	कुल स्वीकृत पद
उप निदेशक	1	-	-	-	1	-	1
लेखा अधिकारी	1	-	-	-	1	-	1
सहायक निदेशक	0	-	1	1	2	2	4
अधीक्षक	1	-	-	-	1	-	1
अभिलेखपाल	3	-	-	-	3	-	3
सहायक अभिलेखपाल	-	-	-	-	-	6	6
माइक्रोफोटोग्राफिस्ट	1	-	-	-	1	-	1
सहायक	2	-	-	-	2	1	3
सहायक पुस्तकाध्यक्ष	1	-	-	-	-	1	1
अभिलेख रेस्टोरर	1	-	-	-	-	1	1
चालक	1	-	-	-	-	1	1
जूनियर स्केल स्टैनो	1	-	-	-	1	-	1
लिपिक	4	-	-	-	1	3	4
अभिलेख परिचर	1	-	-	-	-	1	1
बाइंडर	-	1	-	-	1	-	1
गेट कीपर	-	-	-	-	-	1	1
डार्क रुम अटैन्डेन्ट	1	-	-	-	1	-	1
डस्टिंग बियरर-कम-मैंडर	1	1	1	1	4	1	5
स्वीपर	1	-	-	-	1	-	1
सेवादार	1	-	1	-	2	1	3

<u>अनुलग्नक 'ख'</u>

<u>वर्ष 2020-21 में विभाग में आए शोधकर्ताओं का विवरण</u>

कं0 संख्या	शोधकर्ता का नाम	शोध का विषय	विश्वविद्यालय/विभाग/संस्थान
	सर्व श्री/श्रीमती		
1.	कुलदीप सिंह	नोटिफिकेशन (1970-1995)	किसान फतेहबाद
2.	बलंवत सिंह	श्री रामस्वरुप वैध की रचनाओं से सबंधित रिकार्ड	स्वयं
3.	कुलबीर सिंह	एतिहासिक तथ्य	स्वयं
4.	दलजीत कौर	Role of Muslim Rulers of the Native States of Punjab in First World War	पंजाव विश्वविद्यालय, पटियाला
5.	रोहिणी त्यागराजन	मजदूर कानून	पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ
6.	कपिल कुमार	हिसार मैप	योजना तथा वास्तु कला विद्यालय, नई दिल्ली
7.	विजय कुमार	INC and South East Punjab	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ

8.	सुमित कुमार	संचाई व्यवस्था सबंधी	सरकारी कर्मचारो
9.	स्वीटी	विश्व युद्ध एंव हरियाणाः सामाजिक आर्थिक प्रभाव का एक अध्ययन (1920–1966)	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक